such proposals should fulfil all the requisite condition required under the provision.

(c) Central Government has been advising State Governments from time to time SLUB should vigilantly and Critically watch the diversion of cultivable land to non-agricultural purposes. National Land Use & Conservation Board (NLCB) has formulated National Land Use Policy Outline (NLPO) and recommended to the States for implementation.

आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) में धीमी गति से कार्य

2263. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण आवास तथा शहरी विकास निगम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) ऐसे ठेकेदारों को कोई कार्य न देने हेतु सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) हुडको मुख्यत: विभिन्न आवास और शहरी अधसरंचना योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों आदि को ऋण सहायता देने में लगा हुआ है। ठेकेदारों द्वारा वास्तविक निर्माण सुनिश्चित करने और इन योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व ऋण लेने वाले अभिकरणों/राज्य सरकारों का है। हुडको केवल वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करना है और हुडको की इन योजनाओं के निर्माण क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं है।

करोल बाग क्षेत्र में अवैध निर्माण

2264. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री चतुरानन मिश्र :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य दिल्ली के करौल बाग क्षेत्र में धराशाई हुए चार मंजिले भवन की मरम्मत के नाम पर स्थानीय पुलिस और दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों की मिली भगत से अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उक्त भवन के निर्माता ने दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों को घूस दी थी;

(ग) क्या इस क्षेत्र के रिहायशी परिसरों को व्यावसायिक परिसरों में परिवर्तित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस ने बताया है कि अनधिकृत निर्माण में उनके कर्मचारियों की कोई मिलीभगत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह भी सूचित किया है कि जहां तक दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का संबंध है, अभी तक रिश्वत का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार ऐसे निर्माण स्थगनादेशों की आड़ में तथा स्वीकृत भवन नक्शों का उल्लंघन करके किए जाते हैं। तथापि

जैसे ही अनधिकृत निर्माण ध्यान में आते हैं डी०एम०सी०एक्ट की धारा 343/344 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है। बड़े अनधिकृत निर्माण तथा स्वीकृत भवन नक्शों के प्रति अक्षम्य उल्लंघनों के मामले में धारा 345-ए के अंतर्गत सील करने, धारा 332/461, 343/461 के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई की जाती है तथा डी० एम० सी० एक्ट की धारा 466-ए के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की जाती है।

2265. [*Transferred to 17th March, 1993,*]

Acquiring of Land in Village Gharouli Delhi

2266. SHRI RAFIQUE ALAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that land in Gharouli village Delhi, was acquired by the Delhi Administration;

(b) if so, the last date for inviting applications from the claiments for the allotment of developed residential plots in lieu of their acquired land under the above scheme was 27th April, 1989; and

(c) whether all of them have been given plots by the Delhi Administration, if not, the reasons therefor and whether any time schedule has been chalked out to dispose of such claims?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

2267. [*Transferred to 17th March, 1993.*]

MOU between India and Bhutan on Hydro-Electric Project

@2268. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Memorandum of Understanding on a hydro-electric project was signed by Government with Bhutan, recently;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what mechanism would be adopted for distribution of the electricity generated thereby between India and Bhutan; and

(d) what is the manner in which the project and the electricity generated will be shared by both the countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Yes, Sir. A Memorandum of Understanding (MOU) has been signed in January, 1993 between India and Bhutan for preparation of a detailed project report for the Sankosh Multipurpose project. Irrigation to about 8.6 lakh hectares and hydropower generation over 1525 MW are envisaged.

(c) and (d) These details are to be worked out during the preparation of detailed project report.

@Previously Unstarred Question 1712, transferred from 9th March, 1993;